

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में

2016 आपराधिक विविध सं. 55327

मामला सं.-3288 वर्ष-2012, थाना-गोपालगंज शिकायत मामला, जिला-गोपालगंज से उत्पन्न

=====

अमित सिन्हा उर्फ अमित कुमार सिन्हा, पुत्र- स्वर्गीय जगदीश्वर प्रसाद सिन्हा, निवास- देवी भवन, निकट क्षेत्र कदम कुआँ, थाना -कदम कुआँ, जिला-पटना, वर्तमान में जिला उप निबंधक , गोपालगंज के पद पर तैनात हैं।

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य
2. हरी मोहन पांडे, पुत्र- स्वर्गीय महेंद्र पांडे , निवास - तुरकहा टोला, थाना - गोपालगंज, जिला- गोपालगंज

.....विरोधी पक्ष

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री मुकेश्वर दयाल, अधिवक्ता
		श्री विकास मोहन, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री अरविंद कुमार पांडे, एपीपी
ओ. पी. संख्या 2 के लिए	:	श्री विश्वजीत कुमार मिश्रा, अधिवक्ता
		श्री आकाश चौधरी, अधिवक्ता

अधिनियम/धाराएं/नियम:

- भारतीय दंड संहिता की धाराएं 197, 417 और 465

संदर्भित मामले:

- अमित सिन्हा बनाम बिहार राज्य और अन्य, जैसा कि 2024 एससीसी ऑनलाइन पैट 6330 में रिपोर्ट किया गया है
- राम दास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1970 (2) एससीसी 740
- मोहम्मद इब्राहिम एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, [(2009) 8 एससीसी 751]
- यूरेका बिल्डर्स बनाम गुलाबचंद, (2018) 8 एससीसी 67

- जेआईटी विनायक अरोलकर बनाम गोवा राज्य एवं अन्य (सुप्रीम कोर्ट आपराधिक अपील संख्या 393/2024)
- सुशील सूरी बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, [एआईआर 2011 एससी 1713]
- रणधीर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [(2021) 14 एससीसी 626]
- पुखराज बनाम. राजस्थान राज्य, (1973) 2 एससीसी 701
- उड़ीसा राज्य बनाम गणेश चंद्र ज्यू, (2004) 8 एससीसी 40
- पी. अरुलस्वामी बनाम मद्रास राज्य, एआईआर 1967 एससी 776
- बी. साहा बनाम एम.एस. कोचर, (1979) 4 एससीसी 177
- ओम प्रकाश बनाम झारखंड राज्य, (2012) 12 एससीसी 72
- डी. देवराज बनाम. ओवैस सबीर हुसैन, (2020) 7 एससीसी 695
- श्रीकांतैया रामय्या मुनिपल्ली बनाम। बॉम्बे राज्य, (1954) 2 एससीसी 992
- हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल [1992 सप्लीमेंट (1) एससीसी 335]

याचिका- विवादित आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई, जिसके तहत सत्र न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया और उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 417 और 465 के तहत अभियुक्तों (जिसमें याचिकाकर्ता भी शामिल हैं) के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए समन जारी करने का निर्देश दिया था।

निर्णय-

- भारतीय दंड संहिता की धारा 415 के तहत अपराध सिद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि अभियुक्त ने शिकायतकर्ता को धोखाधड़ी या बेईमानी से प्रेरित करने के लिए कोई प्रतिनिधित्व किया हो। लेकिन इस मामले में, शिकायतकर्ता ने यह आरोप नहीं लगाया है कि किसी भी अभियुक्त ने उसे कोई संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए कोई प्रतिनिधित्व किया। अतः किसी प्रतिनिधित्व के अभाव में, शिकायतकर्ता को धोखाधड़ी या बेईमानी से प्रेरित करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। (पैरा 15)
- शिकायतकर्ता ने अभियुक्तों को कोई संपत्ति हस्तांतरित नहीं की और न ही उसने बिक्री विलेख निष्पादित किया। अतः यदि उसके पास भूमि का कोई स्वामित्व था, तो वह सुरक्षित है, क्योंकि यदि विलेख किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया गया है जिसे भूमि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, तो उससे स्वामित्व स्थानांतरित नहीं हो

सकता। कोई खरीदार केवल तभी संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त कर सकता है, जब विक्रेता के पास संपत्ति का वैध स्वामित्व हो। (पैरा 16)

- आरोपियों में से किसी के विरुद्ध यह आरोप नहीं लगाया गया है कि उन्होंने बिक्री विलेख निष्पादित करते समय किसी अन्य व्यक्ति का रूप धारण किया। न ही यह आरोप है कि किसी ने शिकायतकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की जालसाजी की है। (पैरा 24)
- यह एक विधिक प्रश्न है कि विवादित बिक्री विलेख हस्तांतरित व्यक्ति को स्वामित्व प्रदान करता है या नहीं, और इसका निर्णय सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। (पैरा 24)
- अभियुक्त/याचिकाकर्ता के विरुद्ध मुकदमे की कार्रवाई दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत अनिवार्य स्वीकृति न होने के कारण जारी नहीं रह सकती। (पैरा 30)

याचिका स्वीकृत की जाती है। (पैरा 32)

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय ओदश

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार

मौखिक निर्णय

तिथि -10-01-2025

वर्तमान याचिका, याचिकाकर्ता द्वारा धारा 482 दं प्र सं के तहत अपर जिला और सत्र न्यायाधीश-III, गोपालगंज द्वारा. 2013 का अपराध पुनरीक्षण सं. 1034 में पारित दिनांकित 03.08.2016 के अक्षेपित आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसके द्वारा 2012 का आपराधिक शिकायत मामला सं. 3288 में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी द्वारा पारित दिनांक 11.07.2013 के आदेश जिसके तहत न्यायिक दंडाधिकारी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 417 और 465 के तहत प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए याचिकाकर्ता सहित आरोपी के खिलाफ समन जारी करने का निर्देश दिया को बरकरार रखते हुए पुनरीक्षण खारिज कर दिया है।

अभियोजन का मामला

2. आपराधिक कार्यवाही 2012 की आपराधिक शिकायत संख्या 3288 द्वारा शुरू की गई थी, जिसे हरि मोहन पांडे द्वारा दायर किया गया था, जो यहां ओ. पी. संख्या 2 हैं, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रश्नगत भूमि रामचंद्र पांडे द्वारा निष्पादित उपहार विलेख के कारण उनकी है और संपत्ति पर उनका कब्जा है। हालांकि, रामचंद्र पांडे के गोद लिए हुए पुत्र होने का दावा करने वाले सह-आरोपी रामेश्वर पांडे ने सह-आरोपी आनंद मिश्रा को जमीन का बिक्री विलेख निष्पादित किया है, जो अवैध लेनदेन की साजिश का भी हिस्सा है और आरोपी अमित कुमार सिन्हा, जो इसमें याचिकाकर्ता हैं, गोपालगंज के उप-पंजीयक थे, जहां सह-आरोपी रामाशीष पांडे के पक्ष में आरोपी रामेश्वर पांडे द्वारा बिक्री विलेख निष्पादित किया गया था। शिकायत में घटना की कथित तारीख का उल्लेख 26.09.2012, 06.09.2012 और 30.08.2012 के रूप में किया गया है।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

3. जाँच के दौरान, शिकायतकर्ता से दं प्र सं की धारा 200 के तहत पूछताछ की गई और उसके बाद, विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी ने याचिकाकर्ता सहित आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 417 और 465 के तहत प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए समन जारी करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने बाद 2013 का आपराधिक पुनरीक्षण सं. 1034 में के समन आदेश दिनांक 11.07.2013 के खिलाफ आपराधिक पुनरीक्षण दायर की, जिसे विद्वान अपर जिला और सत्र न्यायाधीश-III, गोपालगंज के द्वारा दिनांक 03.08.2016 के अक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

4. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील, राज्य के लिए एपीपी सीखा और विरोधी पक्ष संख्या 2 के लिए विद्वान वकील को सुना।

याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुतियाँ

5. याचिकाकर्ता का विद्वान वकील दलील करते हैं कि याचिकाकर्ता एक सरकारी अधिकारी है, जिसे जिला उप-पंजीयक, गोपालगंज के रूप में तैनात किया गया है और उसे केवल गोपालगंज में जिला उप-पंजीयक होने के कारण फंसाया गया है। शिकायत में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अन्य विशिष्ट आरोप नहीं है। वह आगे दलील करते हैं कि किसी भी सरकारी अधिकारी पर तब तक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक कि धारा 197 दं प्र सं के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन के लिए मंजूरी नहीं दी जाती है। लेकिन वर्तमान मामले में, कोई मंजूरी प्राप्त नहीं की गई है, जबकि जिला उप-पंजीयक, गोपालगंज द्वारा बिक्री-विलेख का कथित पंजीकरण अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किया गया है और ऐसी स्थिति में मंजूरी का अनुदान संस्था और जिला उप-पंजीयक, गोपालगंज के अभियोजन को जारी रखने के लिए अनिवार्य है।

6. वह आगे दलील करते हैं कि कथित तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार कोई अपराध नहीं हुआ है। वास्तव में, यह मृतक रामचंद्र पांडे द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के अधिकार और स्वामित्व, और आरोपी रामेश्वर पांडे जिन्होंने रामचंद्र पांडे के पुत्र रूप में बिक्री विलेख को निष्पादित किया है के संबंध में सिविल प्रकृति का विवाद है। हालाँकि, शिकायतकर्ता के अनुसार, रामचंद्र पांडे की बिना किसी संतान के मृत्यु हो गई और उन्होंने शिकायतकर्ता के पक्ष में उपहार विलेख निष्पादित किया था और इसलिए, रामेश्वर पांडे के पास संपत्ति पर कोई अधिकार और शीर्षक नहीं है और इसलिए, उन्हें

इसे बेचने का कोई अधिकार नहीं है। बिक्री विलेख के अनुसार, आरोपी रामेश्वर पांडे 18 साल का है और वह रामचंद्र पांडे का पुत्र है, हालांकि शिकायतकर्ता इस बात से इनकार कर रहा है कि वह रामचंद्र पांडे का गोद लिया हुआ पुत्र है। इस प्रकार, कथित तथ्य और परिस्थितियाँ सिविल प्रकृति के विवाद का गठन करती हैं और इसका निर्णय केवल दीवानी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, लेकिन कथित तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार कोई अपराध नहीं किया जाता है। वह आगे दलील करते हैं कि भले ही यह माना जाता है कि रामेश्वर पांडे द्वारा बेची गई भूमि शिकायतकर्ता की है, लेकिन शिकायतकर्ता को कोई नुकसान नहीं है क्योंकि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि कोई भी अपने से बेहतर स्वामित्व हस्तांतरित नहीं कर सकता है और इस तरह, शिकायतकर्ता को कोई नुकसान नहीं है। इसके अलावा, बिक्री विलेख वास्तविक है, हालांकि विक्रेता/अभियुक्त रामेश्वर पांडे के दावे कि वह मृतक रामचंद्र पांडे का पुत्र है, को. द्वारा चुनौती दी गई है जिसमें शिकायतकर्ता ने कहा कि रामचंद्र पांडे की बिना किसी संतान के मृत्यु हो गई और आरोपी रामेश्वर पांडे मृतक रामचंद्र पांडे का गोद लिया हुआ पुत्र नहीं है।

7. इस प्रकार, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के अनुसार, कथित तथ्य और परिस्थितियाँ, अधिक से अधिक, विशुद्ध रूप से सिविल प्रकृति का विवाद हैं। इसलिए, अक्षेपित आदेश और पूरी शिकायत को रद्द किया जा सकता है।

राज्य और ओ. पी. संख्या 2 की ओर से प्रस्तुतियाँ

8. हालांकि, राज्य के लिए विद्वान ए पी पी और विरोधी पक्ष संख्या 2 के विद्वान वकील का कहना है कि अक्षेपित आदेश में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं है और इसलिए, वर्तमान याचिका खारिज की जा सकती है।

9. वह इस न्यायालय के **अमित सिन्हा बनाम बिहार राज्य और अन्य** के निर्णय को भी संदर्भित करते हैं और उस पर निर्भर करते हैं, जैसा कि 2024 एस. सी. सी. ऑनलाइन पैट 6330 और ए आई आर ऑनलाइन 2024 पैट 468 में बताया गया है।

दं प्र सं की धारा 482 का क्षेत्र और दायरा

10. इससे पहले कि मैं पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ूँ, दं प्र सं की धारा 482 के क्षेत्र और दायरे को देखना उचित होगा। यहाँ **अमित सिन्हा मामले** (ऊपर) को संदर्भित करना लाभदायक होगा, जिसमें यह न्यायालय ने , प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों और बाध्यकारी न्यायिक उदाहरणों, का उल्लेख करने के बाद। इसने अभिनिर्धारित किया है कि किसी भी अपराध का संज्ञान लेने और शिकायत मामले में किसी भी अभियुक्त को समन जारी करने के लिए, शिकायत में लगाए गए आरोप और शिकायतकर्ता और उसके गवाहों द्वारा दं प्र सं की धारा 202 के तहत जांच के दौरान दिए गए बयानों के आधार पर प्रथम दृष्टया अपराध होना चाहिए। हालाँकि, ऐसा आरोप या बयान स्पष्ट रूप से बेतुका और विवेकपूर्ण दिमाग के लिए स्वाभाविक रूप से असंभव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, शिकायत में और दं प्र सं की धारा 200 के तहत जांच के दौरान लगाए गए आरोप/बयानों की समग्र रूप से जांच की जानी चाहिए, लेकिन इस स्तर पर ऐसे बयानों की सत्यता की जांच नहीं की जा सकती है। बयानों को उनके अंकित मूल्य पर लिया जाना चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। इसके अलावा, यदि तथ्यों का दिया गया समूह केवल एक नागरिक विवाद बनाता है, तो अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए शिकायत या संज्ञान/समन आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

क्या याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

11. अब, विचार के लिए सवाल यह है कि क्या शिकायत में लगाए गए आरोप या गवाहों के बयान, जैसा कि उनके समर्थन में उनके अंकित मूल्य पर दर्ज किया गया है, अभियुक्त के खिलाफ कोई मामला बनाते हैं।

12. शिकायत में लगाए गए आरोप और दं प्र सं की धारा 200, के तहत जांच के दौरान शिकायतकर्ता और उसके गवाहों के बयान के अनुसार विद्वान दंडाधिकारी ने दिनांक-20.03.2013 के आदेश के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 417 और 465 के दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया है।

13. **भारतीय दंड संहिता की धारा 417** धोखाधड़ी करने के लिए सजा का प्रावधान करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 415 धोखाधड़ी को परिभाषित करती है। **राम दास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1970 (2) एस. सी. सी. 740**, में माननीय उच्चतम न्यायालय ने धोखाधड़ी के अपराध के तत्वों का विश्लेषण निम्नानुसार किया है:

“(i) किसी व्यक्ति को धोखा देकर उसे कपटपूर्ण या बेईमान प्रलोभन दिया जाना चाहिए;

(ii) (ए) इस तरह से ठगे गए व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, या यह सहमति दी जानी चाहिए कि कोई व्यक्ति किसी भी संपत्ति को अपने पास रखेगा; या

(ब) इस तरह से ठगे गए व्यक्ति को जानबूझकर ऐसा कुछ करने या छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए जो वह नहीं करेगा या छोड़ देगा यदि वह इतना ठगा नहीं गया था; और

(iii) इसके अंतर्गत आने वाले मामलों में (ii)(ब) के दायरे में आने वाले मामलों में, कार्य या चूक वह होनी चाहिए जो शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति में प्रेरित व्यक्ति को नुकसान या हानि पहुंचाती है या पहुंचाने की संभावना है।”

14. माननीय उच्चतम न्यायालय को मोहम्मद इब्राहिम और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य, [(2009) 8 एस. सी. सी. 751] मामले में इसी तरह के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने का अवसर मिला था जो बिहार के मधुबनी जिले से आया था । इस मामले में भी शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसकी जमीन को आरोपी ने जमीन पर बिना किसी अधिकार के बेच दिया था। सह-अभियुक्त बिक्री-विलेख के संबंध में गवाह, लेखक और विक्रेता थे। यहाँ, धोखाधड़ी के तत्वों की व्याख्या करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

“18.....

(i) किसी व्यक्ति को या तो गलत या भ्रामक प्रतिनिधित्व करके या बेईमानी से छिपाकर या किसी अन्य कार्य या चूक द्वारा धोखा देना;

(ii) उस व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को देने या किसी व्यक्ति द्वारा उसे अपने पास रखने के लिए सहमति देने के लिए धोखाधड़ी या बेईमानी से उत्प्रेरित करना या जानबूझकर उस व्यक्ति को ऐसा करने या छोड़ने के लिए प्रेरित करना जिसे ऐसे वह नहीं करता या छोड़ता अगर उसे ऐसा धोखा नहीं दिया गया होता; और

(iii) ऐसा कार्य या चूक जिससे उस व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान या हानि पहुँचती है या होने की संभावना है।

19. धारा 420 के तहत अपराध का गठन करने के लिए, न केवल धोखाधड़ी होनी चाहिए, बल्कि इस तरह की धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप, आरोपी ने बेईमानी से व्यक्ति को धोखा देने के लिए प्रेरित किया हो

(i) किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए, या

(ii) किसी मूल्यवान प्रतिभूति को पूरी तरह से या आंशिक रूप से बनाना, बदलना या नष्ट करना (या कुछ भी हस्ताक्षरित या मुहरबंद और जो एक मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित होने में सक्षम है)।

20. जब किसी बिक्री विलेख को किसी संपत्ति के स्वामित्व का दावा करते हुए निष्पादित किया जाता है, तो ऐसे बिक्री विलेख के तहत खरीदार के लिए यह आरोप लगाना संभव हो सकता है कि विक्रेता ने स्वामित्व का गलत प्रतिनिधित्व करके उसे धोखा दिया है और धोखाधड़ी से उसे बिक्री प्रतिफल से अलग होने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन इस मामले में शिकायत खरीदार की नहीं है। दूसरी ओर, खरीदार को सह-अभियुक्त बनाया जाता है।

21. यह शिकायतकर्ता का मामला नहीं है कि किसी भी अभियुक्त ने या तो गलत या भ्रामक अभ्यावेदन देकर या किसी अन्य कार्य या चूक से उसे धोखा देने की कोशिश की, न ही यह उसका मामला है कि उन्होंने उसे किसी भी संपत्ति को देने या किसी व्यक्ति द्वारा उसे बनाए रखने के लिए सहमति देने या जानबूझकर उसे ऐसा कुछ करने या न करने के लिए प्रेरित करने के लिए कोई धोखाधड़ी या बेईमान प्रलोभन दिया जो वह नहीं करता या चूक जाता यदि उसे इतना धोखा नहीं दिया गया होता। न ही शिकायतकर्ता ने यह आरोप लगाया कि पहले अपीलार्थी ने बिक्री विलेखों को निष्पादित करते समय शिकायतकर्ता होने का नाटक किया। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि दूसरे अभियुक्त के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित करने के कार्य द्वारा पहला अभियुक्त या दूसरा अभियुक्त खरीदार होने के कारण, या तीसरा, चौथा और पाँचवाँ अभियुक्त, बिक्री विलेखों के संबंध में गवाह, लेखक और स्टाम्प विक्रेता होने के कारण, शिकायतकर्ता को किसी भी तरह से धोखा दिया।”

(जोर दिया गया)

15. इस प्रकार, भारतीय दंड संहिता की धारा 415 के तहत धोखाधड़ी या बेईमान प्रलोभन देने वाले को अभियुक्त द्वारा अभिवेदन देना अपराध बनाने के लिए अनिवार्य है। लेकिन इस मामले में, मैं पाता हूँ कि शिकायतकर्ता का कोई आरोप नहीं है कि किसी भी अभियुक्त ने उसे किसी भी संपत्ति को देने के लिए कोई अभ्यावेदन दिया है। इस प्रकार, किसी भी अभिवेदन के अभाव में, शिकायतकर्ता के किसी भी धोखाधड़ी या बेईमान प्रलोभन का सवाल नहीं उठता है।

16. इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने किसी भी संपत्ति को अभियुक्त व्यक्तियों को नहीं दिया है, न ही उसने बिक्री-विलेख को निष्पादित किया है। इस प्रकार, प्रश्नगत भूमि पर उसका अधिकार, यदि कोई हो, अभी भी सुरक्षित है, क्योंकि उसका अधिकार खरीदार को नहीं दिया जा सकता है यदि हस्तांतरण विलेख/बिक्री-विलेख किसी और द्वारा निष्पादित किया गया है, जिसके पास प्रश्नगत भूमि का अधिकार नहीं है। एक खरीदार केवल तभी स्वामित्व प्राप्त कर सकता है जब विक्रेता के पास संपत्ति का अधिकार हो। यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि कोई भी अपने से बेहतर स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं कर सकता है, जैसा कि **यूरेका बिल्डर्स बनाम गुलाबचंद (2018) 8 एस. सी. सी. 67** में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने स्पष्ट रूप से निम्नलिखित निर्णीत किया:

“35. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि एक व्यक्ति केवल किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी मूर्त संपत्ति में अधिकार, शीर्षक या हित हस्तांतरित कर सकता है जो उसके पास है और इसे प्रतिफल के लिए या अन्यथा हस्तांतरित कर सकता है। दूसरे शब्दों में, किसी व्यक्ति के पास किसी भी मूर्त संपत्ति में जो भी हित है, वह केवल उसी हित को दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है तथा कोई अन्य हित नहीं, जो उसके पास स्वयं मूर्त संपत्ति में नहीं है।

36. इसलिए, एक बार जब यह साबित हो जाता है कि किसी भी मूर्त संपत्ति के हस्तांतरण की तारीख को, संपत्ति के विक्रेता का उस पर कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं था, तो ऐसी संपत्ति के खरीदार को उसके द्वारा प्रतिफल या अन्यथा खरीदी गई संपत्ति में कोई अधिकार, स्वामित्व और हित नहीं मिलेगा। इस तरह का स्थानांतरण एक अवैध और अमान्य हस्तांतरण होगा।

(जोर दिया गया)

17. यहां जे. आई. टी. विनायक अरोलकर बनाम गोवा राज्य और अन्य। (2024 की आपराधिक अपील संख्या 393) का उल्लेख करना भी उचित होगा जैसा कि **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** द्वारा केवल चार दिन पहले 06.01.2025 को निर्णय लिया गया है। उस मामले में, अभियुक्त द्वारा भूमि संपत्ति में अविभाजित हिस्से को बेच दिया गया था और सह-हिस्सेदार द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मोहम्मद इब्राहिम मामले (ऊपर) पर भरोसा करते हुए निम्नलिखित रूप से प्राथमिकी को रद्द कर दिया:

“ 12.1 इस मामले में, यह समझना असंभव है कि अपीलार्थी ने चौथे प्रतिवादी को कैसे धोखा दिया और कैसे अपीलार्थी द्वारा बिक्री विलेखों के निष्पादन के कार्य ने चौथे प्रतिवादी को शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति में नुकसान या हानि पहुँचाया या होने की संभावना थी। अपीलार्थी ने चौथे प्रतिवादी की ओर से बिक्री विलेखों को निष्पादित करने का दावा नहीं किया है। उन्होंने चौथे प्रतिवादी के अधिकारों को हस्तांतरित करने का इरादा नहीं किया है। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि अपीलार्थी ने विषय संपत्ति को हस्तांतरित करने या वितरित करने के लिए चौथे प्रतिवादी को धोखा दिया।

(जोर दिया गया)

18. इसलिए, याचिकाकर्ता सहित अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ मामले के कथित तथ्यों और परिस्थितियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 417 के लागू होने का कोई सवाल ही नहीं है।

19. जहां तक भा. दं. सं. की धारा 465 के लागू होने का संबंध है, यह धारा जालसाजी के लिए सजा का प्रावधान करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 463 में जालसाजी को परिभाषित किया गया है जो निम्नलिखित रूप में प्रदान करता है:

“463. कूटरचना— जो कोई भी जनता या किसी व्यक्ति को नुकसान या चोट पहुँचाने के इरादे से, या किसी दावे या स्वामित्व का समर्थन करने के इरादे से, या किसी व्यक्ति को संपत्ति से अलग करने के लिए, या किसी स्पष्ट या निहित अनुबंध में प्रवेश करने के लिए, या धोखाधड़ी करने या धोखाधड़ी करने के इरादे से, कोई भी गलत दस्तावेज या गलत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाता है, वह जालसाजी करता है।”.

20. जालसाजी की मूल सामग्री जैसा कि **सुशील सूरी बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, [ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 1713]** मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समझाया गया है वह इस प्रकार है:

“(1) किसी झूठे दस्तावेज़ या उसके हिस्से को बनाना और (2) ऐसा बनाना उस इरादे से होना चाहिए जो धारा में निर्दिष्ट है, जैसे (क) (i) जनता, या (ii) किसी व्यक्ति को नुकसान या उल्लंघन करना; या (ख) किसी दावे या अधिकार का समर्थन करना; या (ग) किसी व्यक्ति को

संपत्ति से अलग करना, या (घ) किसी व्यक्ति को एक स्पष्ट या निहित अनुबंध में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करना; या (ङ) धोखाधड़ी करना या धोखाधड़ी करने की संभावना होना ।

21. भारतीय दंड संहिता की धारा 464 झूठे दस्तावेज बनाने को परिभाषित करती है। यह इस प्रकार है:

“464. झूठा दस्तावेज बनाना---

एक व्यक्ति को झूठा दस्तावेज या झूठा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाने वाला कहा जाता है-पहला-जो बेईमानी या धोखाधड़ी से -

(क) किसी दस्तावेज या दस्तावेज के हिस्से को बनाता है, हस्ताक्षर करता है, मुहर लगाता है या निष्पादित करता है;

(ख) किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाता है या प्रसारित करता है; (ग) किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को चिपकाता है;

(घ) किसी दस्तावेज के निष्पादन या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की प्रामाणिकता को दर्शाने वाला कोई भी निशान बनाता है,

यह विश्वास दिलाने के इरादे से कि ऐसा दस्तावेज या दस्तावेज का हिस्सा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किसी ऐसे व्यक्ति के प्राधिकरण द्वारा या उसके द्वारा किया गया था, हस्ताक्षर किए गए थे, मुहर लगाई गई थी, निष्पादित किया गया था, प्रेषित किया गया था या चिपकाया गया था जिसके द्वारा या जिसके अधिकार से वह जानता है कि यह नहीं बनाया गया था, हस्ताक्षर नहीं किया गया था, मुहर नहीं लगाई गई थी, निष्पादित नहीं किया गया था या चिपकाया गया था; या

दूसरा-जो वैध प्राधिकरण के बिना, बेईमानी या धोखाधड़ी से, रद्द करके या अन्यथा, किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को उसके किसी भी भौतिक हिस्से में, खुद या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के साथ बनाए जाने, निष्पादित करने या चिपकाए जाने के बाद, बदल देता है, चाहे वह व्यक्ति इस तरह के परिवर्तन के समय जीवित हो या मृत; या

तीसरा-जो बेईमानी या धोखाधड़ी से किसी व्यक्ति को किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने, मुहर लगाने, निष्पादित करने या बदलने का कारण बनता है या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर अपने

इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर लगाने का कारण बनता है, यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति मन की अस्वस्थता या नशा के कारण नहीं कर सकता है, या यह कि उस पर किए गए धोखे के कारण, वह दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री या परिवर्तन की प्रकृति को नहीं जानता है।

दृष्टांत

22. यहाँ, फिर से **मोहम्मद इब्राहिम** मामले (ऊपर) का उल्लेख करना लाभदायक होगा, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

“17. जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसी संपत्ति का दावा करते हुए दस्तावेज़ निष्पादित किया जाता है जो उसकी नहीं है, तो वह यह दावा नहीं कर रहा है कि वह कोई और है और न ही वह यह दावा कर रहा है कि वह किसी और द्वारा अधिकृत है। इसलिए, ऐसे दस्तावेज़ का निष्पादन (कुछ संपत्ति को व्यक्त करने के लिए जिसका वह मालिक नहीं है) एक झूठे दस्तावेज़ का निष्पादन नहीं है जैसा कि संहिता की धारा 464 के तहत परिभाषित किया गया है। यदि जो निष्पादित किया जाता है वह झूठा दस्तावेज़ नहीं है, तो कोई जालसाजी नहीं है। यदि कोई जालसाजी नहीं है, तो न तो धारा 467 और न ही संहिता की धारा 471 आकर्षित होती है।

(जोर दिया गया)

23. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **रणधीर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**, [(2021) 14 एस. सी. सी. 626] मामले में भी निम्नलिखित निर्णय दिया:

“24. एक धोखाधड़ी, मनगढ़ंत या जाली विलेख का अर्थ एक ऐसा विलेख हो सकता है जिसे वास्तव में निष्पादित नहीं किया गया था, बल्कि एक ऐसा विलेख जो प्रत्यक्ष निष्पादकों के जाली हस्ताक्षर करके धोखाधड़ी से बनाया गया था। यह कहना एक बात है कि बेला रानी ने धोखाधड़ी से संपत्ति की बिक्री को अधिकृत करने के लिए एक पावर ऑफ अटॉर्नी को निष्पादित किया, यह जानते हुए कि उसके पास संपत्ति देने का कोई अधिकार नहीं था। यह कहना एक और बात है कि पावर ऑफ अटॉर्नी अपने आप में एक जाली, धोखाधड़ी, मनगढ़ंत या निर्मित था, जिसका अर्थ है कि इसे बेला रानी द्वारा कभी निष्पादित नहीं किया गया था। उसके हस्ताक्षर जाली थे। यह समझना असंभव है कि जांच अधिकारी स्पष्ट निष्पादक बेला रानी की जांच किए बिना

प्रथम दृष्टया कैसे संतुष्ट हो सकते थे कि विलेख जाली या मनगढ़ंत था या धोखाधड़ी थी, यहां तक कि, जिसे गवाह के रूप में भी उद्धृत नहीं किया गया है।

(जोर दिया गया)

24. दलील मामले में भी, प्रश्नगत बिक्री-विलेख को निष्पादित करते समय किसी भी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण का कोई आरोप नहीं है। किसी ने भी शिकायतकर्ता या किसी और के जाली हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अभियुक्त रामेश्वर पांडे ने अपने सह-अभियुक्त के पक्ष में प्रश्नगत भूमि के बिक्री-विलेख को निष्पादित किया है, जो रामचंद्र पांडे का पुत्र होने का दावा करता है, जिसकी पहले ही मृत्यु हो चुकी है। इसलिए, प्रश्नगत बिक्री-विलेख जाली दस्तावेज नहीं है। यह वास्तविक है। क्या प्रश्नगत बिक्री-विलेख हस्तांतरिती को स्वामित्व देता है यह एक कानूनी प्रश्न है जिसका निर्णय सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा किया जाना है। लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 465 याचिकाकर्ता सहित अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ लागू नहीं होती है।

25. इसलिए, मेरे विचार में, शिकायत भारतीय दंड संहिता की धारा 417 और 465 के तहत किसी भी अपराध का खुलासा नहीं करती है। वर्तमान मामले के कथित तथ्य और परिस्थितियाँ, अधिक से अधिक, पक्षों के बीच विशुद्ध रूप से सिविल प्रकृति का विवाद हैं, जिसका समाधान उचित दीवानी मुकदमा दायर करके दीवानी अदालत के समक्ष निहित है।

क्या याचिकाकर्ता सी. आर. पी. सी. की धार 197 के तहत सुरक्षा का हकदार है।

26. मैं यह भी पाता हूँ कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अक्षेपित आदेश सी. आर. पी. सी. की धारा 197 के प्रावधानों को देखते हुए भी टिकाऊ नहीं है, जो लोक सेवकों को अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने के लिए कथित रूप से किए गए किसी भी अपराध के लिए अभियोजन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, किसी भी अदालत को इस तरह के अपराध का संज्ञान लेने से रोकता है, सिवाय उपयुक्त सरकार की पूर्व मंजूरी के। इस मामले में, निर्विवाद रूप से याचिकाकर्ता के खिलाफ ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी गई है और आरोप के अनुसार, याचिकाकर्ता बिक्री विलेख के पंजीकरण के समय गोपालगंज का उप-पंजीयक, था। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि बिक्री विलेख का पंजीकरण किसी भी किसी भी जिले के उप-पंजीयक के

आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा है। इसलिए, मामले में, कथित अपराध का संज्ञान लेने और याचिकाकर्ता के खिलाफ समन जारी करने से पहले मंजूरी की आवश्यकता थी।

27. दं प्र सं . की धारा 197 में अंतर्निहित उद्देश्य और प्रयोजन, जैसा कि कुमार अरुण प्रकाश मामले (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा वैधानिक प्रावधान और मामले के कानूनों का उल्लेख करने के बाद, लोक सेवकों को उनके द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करने या कार्य करने का दावा करने के दौरान किए गए कथित अपराधों के लिए तुच्छ, परेशान करने वाले या झूठे अभियोजन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है। राज्य प्रशासन की दक्षता के व्यापक हित की मांग है कि लोक सेवकों को निडरता से अपने आधिकारिक कर्तव्य का पालन करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए और निजी पक्षों के कहने पर उनके संभावित अभियोजन की आशंका से विचलित नहीं होना चाहिए, जिनके लिए अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किए गए उनके वैध कार्यों से परेशानी या चोट हो सकती है। यह धारा लोक सेवकों द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के प्रभावी और निर्बाध प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाई गई है, जिसमें उनके द्वारा उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपराध करने के आरोपों की जांच का प्रावधान किया गया है और अदालतों द्वारा उनके खिलाफ मामलों के संज्ञान की पूर्व शर्त के रूप में उनके अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी दी गई है।

28. न्यायिक उदाहरणों के अनुसार, यह तय कानून है कि यदि लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कथित अपराध किया गया है, तो दं प्र सं की धारा 197 के तहत प्रदान की गई सुरक्षा लागू होती है और संबंधित लोक सेवक पर तब तक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक कि उसके अभियोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी नहीं दी जाती है। हालाँकि, कथित कार्य/अपराध को आधिकारिक कर्तव्य से पूरी तरह से असंबद्ध नहीं होना चाहिए। लोक सेवक के आधिकारिक कर्तव्य और कथित कार्य/अपराध के बीच उचित संबंध होना चाहिए। आधिकारिक कर्तव्य का तात्पर्य लोक सेवक द्वारा अपनी सेवा के दौरान और अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए कार्य या चूक से है। दूसरे शब्दों में, दं प्र सं . की धारा 197 लोक सेवक द्वारा विशुद्ध रूप से निजी क्षमता में किए गए कार्यों पर लागू नहीं होती है। निम्नलिखित प्राधिकरणों पर भरोसा रखा गया है:

(i) पुखराज बनाम राजस्थान राज्य, (1973) 2 एस. सी. सी. 701

- (ii) उड़ीसा राज्य बनाम गणेश चंद्र यहूदी, (2004) 8 एस. सी. सी. 40
- (iii) पी. अरुलस्वामी बनाम मद्रास राज्य, ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 776
- (iv) बी. साहा बनाम एम. एस. कोचर, (1979) 4 एससीसी 177
- (v) ओम प्रकाश बनाम झारखंड राज्य, (2012) 12 एस. सी. सी. 72
- (vi) डी. देवराज बनाम. उवैस साबिर हुसैन, (2020) 7 एस. सी. सी. 695

29. श्रीकंठिया रामय्या मुनिपल्ली बनाम बॉम्बे राज्य, (1954) 2 एस. सी. सी. 992 मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि यदि दं प्र सं . की धारा 197 को बहुत संकीर्ण रूप से समझा जाता है, तो इसे कभी भी लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि निश्चित रूप से अपराध करना किसी अधिकारी के कर्तव्य का हिस्सा नहीं है और कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन यह कर्तव्य नहीं अपितु कार्य जिसकी कि हमें जांच करनी है, क्योंकि एक आधिकारिक कार्य आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन केसाथ-साथ इसकी अवहेलना में भी किया जा सकता है ।

30. इस प्रकार, मैं पाता हूँ कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोजन, शिकायतकर्ता के परिवाद के आधार पर दं प्र सं . की धारा 197 के तहत मंजूरी के अभाव में जारी नहीं रह सकता है क्योंकि हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल [1992 अनुपूरक (1) एस. सी. सी. 335], में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य बातों के अलावा स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि संस्था के किसी भी अवरोध या कानून के किसी भी प्रावधान के तहत अभियोजन जारी रखने के मामले में, न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए दं प्र सं की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्ति का उपयोग कर सकता है।

इस न्यायालय का निष्कर्ष/खोज

31. इसलिए, अक्षेपित आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है और इसे अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दं प्र सं . की धारा 482 के तहत अपास्त एवं रद्द किए जाने लायक है।

32. तदनुसार वर्तमान याचिका को स्वीकृत किया जाता है, 2013 का अपराध पुनरीक्षण सं. 1034 में विद्वान अपर जिला और सत्र न्यायाधीश-III, गोपालगंज द्वारा

पारित दिनांक 03.08.2016 के अक्षेपित आदेश और विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, गोपालगंज ने 2012 का आपराधिक परिवाद मामला संख्या 3288 में दिनांक 11.07.2013 का आदेश को याचिकाकर्ता के संदर्भ में रद्द कर किया जाता है ।

(जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति)

रविशंकर/

चंदन -

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।